



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

**National Commission for Scheduled Tribes**

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

मी. सं. 69/1/एन. सी. एस. टी./2020-प्रशासन

दिनांक 29.01.2021

**परिपत्र**

जैसा कि विदित है, प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 जनवरी को प्रातः 11:00 बजे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

इस वर्ष भी आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 30 जनवरी, 2021 को प्रातः 11:00 बजे शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन धारण करें। चूंकि 30 जनवरी, 2021 को कार्यालय अवकाश (शनिवार) है, इसलिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे, जहाँ भी एवं जिस भी स्थान पर हों, वहीं 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख भी अपने कार्यालयों में उक्तानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार दुबे)  
सहायक निदेशक (प्रशा.)

प्रति-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रधान स्टाफ अधिकारी, सचिव कार्यालय.
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव कार्यालय.
3. उप-सचिव कार्यालय.
4. निदेशक कार्यालय.
5. अवर सचिव कार्यालय.
6. सहायक निदेशक (प्रशा./समन्वय/अनुसंधान एकक 2,3).
7. अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान एकक -4).
8. वरिष्ठ अन्वेषक (अनुसंधान एकक -1).
9. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख.
10. एन. आई. सी. अनुभाग.